न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

रेफरेन्स/02/2022

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. पोतीराम पुत्र विस्सा
2. सन्ता पुत्री विस्सा
3. सिंगोसिहं पुत्र विस्सा
4. हरकी पुत्री विस्सा

} जाति जाटव निवासी जाटौली रथभान तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना अन्तर्गत धारा 82 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 तथा धारा 16 राज0 काश्तकारी अधि0 1955 विरुद्ध आराजी खसरा नं. 2116, 2117 पर दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाने बाबत्।

उपस्थित :—

1– पैरोकार सरकार, प्रार्थी .

2–श्री विजय सिहं कुन्तल अभिभाषक अप्रार्थी0,नं. 1,2,3

निर्णय दिनांक 25.10.2024

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर द्वारा यह रैफरेन्स विरुद्ध अप्रार्थीयान इस आश्य का पेश किया कि आराजी गत खसरा नम्बर 2501 रकबा 1 बीघा हाल खसरा नं. 2116 रकवा 0.02 है0, 2117 रकवा 0.16 है0 किस्म गैर मु0 पोखर ग्राम जाटौली रथभान में स्थित है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा मिलीभगत करके गै0 मु0 पोखर खसरा नं0 2116, 2117 पर कानून के विपरीत भूमि का गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर भूमि का जरिये विरासत अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। विवादित आराजी खसरा नं0 2116, 2117 धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित भूमि है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिपेक्ष्य में उक्त आराजी की पूर्व की स्थिति सिवायचक गै0

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है

लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित

प्रशासनिक अधिकारी
कलक्टेट, भरतपुर

मु0 पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं विवादित खसरा नम्बरान पर दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन कराने हेतु रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1,2,3 के अभिभाषक श्री विजय सिहं कुन्तल का वकालतनामा पेश हुआ तथा जबाब पेश किय जो शामिल पत्रावली किया गया है। अप्रार्थीगण सं0 4 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार एवं योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1,2,3 की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने अपने कथनों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 2501 रकबा 1 बीघा हाल खसरा नं. 2116 रकवा 0.02 है0, 2117 रकवा 0.16 है0 किस्म गैर मु0 पोखर ग्राम जाटौली स्थभान में स्थित है। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा मिलीभगत करके गै0 मु0 पोखर खसरा नं0 2116, 2117 पर कानून के विपरीत भूमि का गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर भूमि का जरिये विरासत अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई है। विवादित आराजी खसरा नं0 2116, 2117 धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। पैरोकार सरकार ने यह भी बताया कि नामान्तकरण संख्या 880 तारीखी 29.11.72 जो आंबटन पट्टा कमेटी के आधार पर स्वीकार किया गया वह नियमों के खिलाफ है, विवादित भूमि गै0मु0 पोखर है, जो आर.टी.एक्ट. की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी मे आती है ऐसी भूमियो पर किसी को आंबटन नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः जो आबंटन किया गया है वह भी गलत है। आंबटन के आधार पर खोला गया नामान्तकरण भी निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आराजी की पूर्व की स्थिति राजकीय गै0 मु0 पोखर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं विवादित खसरा नम्बरान पर दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राज कलमजन किये जाने की प्रार्थना की गई है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–1,2,3 ने जरिये जबाब एवं लिखित बहस अपने कथनों में जाहिर किया कि विवादित आराजी कभी भी गैर मुमकिन पोखर की आराजी नहीं रही है। विवादित आराजी को स्वयं सायल की उपस्थिति में आवंटन कमैटी द्वारा प्रार्थीगण के भूमिहीन व अनुसूचित जाति के व्यक्ति होने के कारण प्रार्थीगण गैर सायलान को भूमि का आवंटन किया गया था और उस आवटन की

.....3

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

पालना में कानूनी रूप से गैर खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा किसी भी प्रकार से मिलीभगत नहीं की गई बल्कि स्वयं सायल जो भूमिधारी की उपस्थिति में तथा सायल से रिपोर्ट लेकर भूमि का आवंटन गैर सायलान के हक में हुआ था। चूंकि विवादित आराजी कभी भी जब से गॉव बसा है तब से ताहाल तक पोखर की भूमि नहीं रही है तथा वक्त आवंटन किस्म कदीम व गैर मुमकिन भूमि थी इसलिये धारा 16 राज0 काश्तकारी अधिनियम का भी उल्लंघन नहीं होता है। वक्त आवंटन विवादित भूमि गैर मुमकिन भूमि थी जिसका आवंटन की सम्पूर्ण शर्तों का पालन करते हुये गैर सायलान को आवंटन योग्य व्यक्ति मानकर आवंटन कमैटी द्वारा पूर्ण नियमों का पालना करते हुये आवंटन किया गया था। उस आवंटन के आधार पर स्वयं सायल द्वारा ही नामान्तकरण सं0 880 दिनांक 29.11.1972 स्वीकार करते हुये प्रार्थी0 गैर सायलान के पिता को गैर खातेदार दर्ज कर कब्जा व दखल मौके पर दिया गया। सन 1972 से ताहाल तक प्रार्थीगण गैर सायलान उक्त सम्पूर्ण भूमि पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर रहे हैं तथा राजस्व लगान अदा कर रहे हैं। सायल द्वारा यह रेफरेन्स धारा 82 व धारा 9 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम में पेश किया है परन्तु उक्त रेफ्रेन्स में न तो आवंटन का दिनांक अंकित किया है और न ही किसी भी नामान्तकरण बावत कोई अंकन किया है। आवंटन में स्वयं सायल भूमिधारी होने के नाते आवंटन कमेटी का सदस्य था तथा नामानतरण भी आवंटन के आधार पर स्वयं सायल द्वारा स्वीकार किया गया है इस प्रकार सायल स्वयं अपने कृत्यों से विबंधित है। नामान्तकरण व आवंटन स्वयं सायल द्वारा ही पारित व स्वीकृत किये गये हैं इसलिय आवंटन व नामान्तकरण की पूर्ण जानकारी सायल को उसी रोज से थी अब समय गुजरने के बाद आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जो विधि सम्मत है तथा आवंटन को हुये 50 वर्ष से अधिक समय गुजर चुका है जो अत्यधिक म्याद बाहर होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। वदी वजय रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण रेफरेन्स में उभय पक्ष के कथनों के आधार पर निम्न विन्दू तय किये जाने हैं :-

1– क्या विवादित आराजी खसरा नम्बर 2501 रकबा 1 बीघा जिसके हाल खसरा नम्बर 2116 / 0.02,2117 / 0.16 भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर है ?

.....4

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

2– क्या विवादित भूमि खाली होने से आर.टी.एक्ट की धारा 16 की प्रतिबन्धित श्रेणी नहीं आती है?

3–क्या विवादित आराजी पर अब्दुल रहमान बनाम सरकार का निर्णय लागू नहीं होता है,

4– क्या रेफरेन्स म्याद बाहर होने से काबिल खारिज के है?

1– पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमबान्दी सम्वत् 2015–2018 ग्रांम जाटोली रथभान में हो रहे इन्द्राज स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2501 रकवा 1 बीघा गैर मुमकिन पोखर है। जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 ग्रांम जाटोली रथभान में गत खसरा नम्बर से बने हाल खसरा नम्बरान 2116/0.02 एवं 2117/0.16 पर भूमि किस्म गैर मुमकिन पोखर दर्ज है। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर है। योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने सिवाय मौखिक कथनों के हमारे समक्ष ऐसा कोई राजस्व रिकार्ड पेश नही कियाा जिससे यह माना जा सके की विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर नहीं हो।

2– इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध मौका पर्चा रिर्पोट हल्का पटवारी जाटोली रथभान तारीखी 04.02.2022 में अंकित किया है कि –

> ".....खसरा खसरा नम्बर 2116/0.02, एवं 2117/0.16 किता 2 कुल रकवा 0.18 किस्म गै0मु0 पोखर में.....मौके पर हमेशा पानी भरा रहता है जिसमें जाटौली से नौगांया रोड़ अवरुद्व हो जाता है, उक्त खसरा नम्बरान में मौके पर पोखर होने के कारण कभी कास्त नहीं होती है.....।"

उक्त मौका रिपोर्ट पर हल्का पटवारी, गिर्दावर एवं सरपंच, अन्य उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर हो रहे हैं। अतः योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का यह कहना कि विवादित आराजी खाली रहती है स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत विवादित आराजी गैर मुमकिन पोखर प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में आती है। ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को गैरखातेदारी /खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं और नाहीं ऐसी भूमियों का आवंटन ही किया जा सकता है।

.....5

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
न्यायालिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

3— माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28.1.2011 के संदर्भ परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ — 10 (3) राज—6 / 2001 /7 जयपुर दिनांक 25.4.2011 में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है गारागाह भूमियों / जोहड पायतन (catchment of a pond / water Reservois) और तालाबों (ponds) की भूमियों का निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये आंबटन व नियमन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जावे। विवादित आराजी खसरा नम्बर गैर मुमकिन पोखर हैं। जिन पर नियम विरुद्व दी गई खातेदारी इन्द्राज को निरस्त कराया जाना आवश्यक है।

4— जहॉ तक प्रश्न म्याद का है इस सम्बन्ध में निम्न रुलिंग पर विचार किया गया — रेफरेन्स में म्याद के बिन्दू पर निम्न नज़ीरों में सपष्ट है —

राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 (8) में Bar to making reference-No limitation prescribed- Held,reference against Mutation Competent.

R.R.D. 1992 Pag No.17 .
Revision No. 114/Ganganagar of 89, decided on 12th Sept., 1991.(c) Limitation Act Section 3 - Impugned order, illegal and nonest - Such an order can be challenged at any time. (Para 3)

इसी प्रकार आर 0बी0जे0 (10) पेज 218 माननीय राज0 उच्च न्यायालय में प्रतिपादित किया है कि Rajasthan Land Rev. Act. 1956.. Section 82- No limitation is prescrived for making reference...

इस प्रकार उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 2501 रकवा 1बीघा एवं इससे बने हाल खसरा नम्बर 2116/0.02, एवं 2117/0.16 ग्रांम जाटोली रथभान तहसील भरतपुर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन पोखर दर्ज है तथा मौके पर भी पोखर है। पोखर ग्रांमीण क्षेत्र में गांवों के पशुओं को पानी पीने एवं अन्य सार्वजनिक उपयोग में आती है। ऐसी भूमियों को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी में रखा गया है। ऐसी भूमियों पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से गैर खातेदारी /खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। तहसीलदार भरतपुर द्वारा आंबटन पट्टा कमेटी के आधार पर जो नामान्तकरण संख्या 880 तारीखी 29.11.72 को विवादित आराजी गत खसरा नम्बर 2501 रकवा 1वीघा गैर मुमकिन पोखर पर अप्रार्थी के पूर्वज विस्सा बल्द टुन्डा

.....6

छाया प्रति मूल पत्र के अनुसार सत्य है।
लिपिक
कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
सहायक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर

जिला कलक्टर
भरतपुर

को गैर खातेदार एलोटी नियम विरुद्ध दर्ज किया गया है, इसे निरस्त कराने तथा इसके बाद अप्रार्थीगण के विरासत के आधार पर दर्ज हुये नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन कराये जाने हेतु एवं विवादित आराजी को पूर्ववत राजकीय गैर मुमकिन पोखर दर्ज कराये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि: –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को इस निवेदन के साथ प्रेषित किया जाता है कि आराजी गत खसरा नम्बर 2501 रकवा 1बीघा एवं इससे बने हाल खसरा नम्बर 2116/0.02, एवं 2117/0.16 गैर मुमकिन पोखर नियमों के विपरीत आवंटन के आधार पर स्वीकार किये गये नामान्तकरण संख्या 880 दिनाकं 29.11.72 को निरस्त किया जावे। इसके बाद अप्रार्थीगण के नाम खोले गये विरासत के नामान्तकरण को शून्य घोषित किया जावे। विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण दर्ज नामों को कलमजन किया जाने एवं विवादित आराजी को वापिस राजकीय गैर मुमकिन पोखर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे। पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 30.12.2024 को पेश हो। उभय पक्ष को सुचित किया गया।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर

छाया प्रति मूल पत्र
के अनुसार लिखा है
लिपिक
जिला कलक्टर भरतपुर

फोटो स्टेट प्रमाणित
प्रशासनिक अधिकारी
कलक्ट्रेट, भरतपुर